[12.06.2013 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज)
परिपत्र सं.110 का संलग्नक -I]

एफसी-जीपीआर

(जब कभी विदेशी निवेशकों को कंपनी द्वारा शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/अन्य जारी किए जाएं तो इस फॉर्म के संलग्नक वचन पत्र की मद सं. 4 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, फाइल किया जाए।)

आयकर विभाग द्वारा निवेशिती कंपनी को आबंटित स्थायी खाता सं (पैन)	
शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ अन्य को जारी करने का दिनांक	

सं.	**ब्योरे**	**(स्पष्ट अक्षरों में)**
1.	नाम	
	पंजीकृत कार्यालय का पता	
	राज्य	
	कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया पंजीकरण नं.	
	मौजूदा कंपनी अथवा नई कंपनी है (जो लागू न हो, उसे काट दें)	मौजूदा कंपनी/नई कंपनी
	मौजूदा कंपनी के मामले में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित पंजीकरण सं., अगर कोई हो तो, दें।	
	टेलीफोन	
	फैक्स	
	ई-मेल	

2.	मुख्य कारोबारी कार्यकलाप का ब्योरा	
	एनआईसी कूट	
	परियोजना का स्थान और परियोजना जहां स्थित है, उस जिले का एनआईसी कूट	
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार अनुमत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत	
	उल्लेख करें कि क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वत: अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत है ? (जो न लागू हो, उसे काट दें।)	स्वत: अनुमोदित मार्ग / अनुमोदन मार्ग
3.	**विदेशी निवेशक/ सहयोगी के ब्योरे**[1]*	
	नाम पता देश निवेश करने वाली संस्था का गठन/ स्वरूप [उल्लेख किया जाए कि वह निम्नलिखित में से कौन है: 1.कोई व्यक्ति 2.कंपनी 3.विदेशी संस्थागत निवेशक 4.विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक# 5.विदेशी न्यास 6.निजी ईक्विटी फंड 7.पेशन/ प्रोविडेंट फंड 8.सरकारी धन -निधि[2] 9.साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म 10.वित्तीय संस्था 11.अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल का व्यक्ति 12.अन्य (कृपया उल्लेख करें)] संस्था के मामले में गठन की तारीख	

[1] यदि एक से अधिक विदेशी निवेशक/सहयोगी हो, तो फार्म की मद 3 और 4 के लिए अलग संलग्नक शामिल किया जाए।

[2] सरकारी धन निधि का अर्थ है सरकारी निवेश संस्था, जिसका निधीयन विदेशी मुद्रागत परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता हो और जो मौद्रिक प्राधिकरणों की शासकीय रिज़र्व निधियों से अलग उन परिसंपत्तियों का प्रबंध करता हो।

यदि निवेश 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची । के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत एफवीसीआई द्वारा किया गया/किए गए हो/हों।

4.	**जारी किए गए शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों /अन्य के ब्योरे**			
(ए)	**निर्गम का स्वरूप और तारीख**			
		निर्गम का स्वरूप	**निर्गम की तारीख**	**शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों /अन्य की संख्या**
	01	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव /एफपीओ		
	02	अधिमानी आबंटन/निजी नियोजन		
	03	अधिकार/राइट्स		
	04	बोनस		
	05	बाह्य वाणिज्यिक उधार का परिवर्तन		
	06	रॉयल्टी का परिवर्तन (एकमुश्त भुगतान सहित)		
	07	विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात पर परिवर्तन		
	08	ईएसओपी		
	09	शेयर स्वैप		
	10	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)		
		कुल		

(बी)	**जारी की गई प्रतिभूति का प्रकार**							
	सं.	**प्रतिभूति का स्वरूप**	**संख्या**	**परि पक्वता**	**अंकित मूल्य**	**प्रीमियम**	**निर्गम मूल्य प्रति**	**आवक *राशि**
	01	ईक्विटी						
	02	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर						
	03	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर						
	04	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)						
		कुल						

i) यदि निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्राप्त प्रीमियम का ब्रेकअप दें।

ii) * अगर निर्गम बाह्य वाणिज्यिक उधार अथवा रॉयल्टी के परिवर्तन पर अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात पर है तो परिवर्तन की तारीख को बकाया राशि को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र।

(सी)	**प्रीमियम का ब्रेक-अप**	**राशि**
	कंट्रोल प्रीमियम	
	गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क	

	अन्य@	
	कुल	
	@ कृपया प्रीमियम का प्रकार स्पष्ट करें	
(डी)	निम्नलिखित के माध्यम से अनिवासियों को शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर/अन्य जारी करने से **कुल आवक** (रुपये में) (प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित) (i) प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से विप्रेषण (ii) _______ बैंक के पास अनिवासी (बाह्य)/ विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते/एस्क्रो खाते में नामे (iii) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची -I के पैरा 9 (1) ए के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक को उपर्युक्त (i) और (ii) रिपोर्ट करने की तारीख	

(ई)	**जारी किए गए शेयरों के उचित मूल्य का प्रकटीकरण** **			
	हम सूचीबद्ध कंपनी हैं और निर्गम की तारीख को एक शेयर का बाज़ार मूल्य है*			
	हम असूचीबद्ध कंपनी हैं और एक शेयर का उचित मूल्य है*			

***शेयर के निर्गम से पहले* **(कृपया, जैसा लागू हो, दर्शायें)*

5.	**निर्गम के पश्चात शेयर धारिता का स्वरूप**							
			ईक्विटी			**अनिवार्यत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयर/ डिबेंचर/ अन्य**		
	निवेशक वर्ग		शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य) रु.	%	शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य) रु.	%
ए)	**अनिवासी**							
	01	**व्यक्ति**						
	02	**कंपनी**						
	03	**विदेशी संस्थागत निवेशक**						
	04	**विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक#**						
	05	**विदेशी न्यास**						
	06	**निजी ईक्विटी फंड**						
	07	**पेंशन/ प्रोविडेंट फंड**						

	08	**सरकारी धन- निधि**						
	09	**साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म**						
	10	**वित्तीय संस्थान (संस्थाएँ)**						
	11	**अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति**						
	12	**अन्य (कृपया स्पष्ट करें)**						
		उप-जोड़						
बी)		**निवासी**						
कुल जोड़								

निवेश 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची । के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत एफवीसीआई द्वारा किया गया है/किए गए हों।

भारतीय कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फाइल की जानेवाली घोषणा :

(जो लागू न हो उसे काट कर हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें)

हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि :

1. हम समय-समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी में दर्शाए अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत यथानिर्धारित शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों की निर्गम की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।
2. निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अनुमत सेक्टोरेल सीमा/ सांविधिक सीमा के अंदर है तथा हम स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत निवेशों के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं अर्थात(निम्नलिखित में से जो लागू न हो उसे काट दें)

ए) अधिकार (राइट्स)आधार पर अनिवासियों को जारी किए गए शेयर समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 मई 2000 को जारी अधिसूचना सं.20/2000-आरबी के विनियम 6 के अनुरूप है।

अथवा

बी) जारी किए गए शेयर बोनस शेयर हैं।

अथवा

सी) दो अथवा अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन तथा समामेलन या एक कंपनी के अनेक में पृथकीकरण या अन्य योजना जो भारत में किसी न्यायालय द्वारा विधिवत अनुमोदित हो, के तहत शेयर जारी किए गए हैं ।

अथवा

डी) शेयर कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत जारी किए गए हैं तथा इस निर्गम के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया है।

3. शेयर एसआईए/एफआईपीबी के दिनांक . . . .. के अनुमोदन सं.-- के अनुसार जारी किए गए हैं ।

4.प्राप्त हुए तथा रिपोर्ट किए गए विदेशी निवेश का उपयोग अब धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

5. हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9 (1) (बी) के अनुपालन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं।

(i) हमारे कंपनी-सचिव का यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र कि:

(ए) कंपनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गयी हैं;

(बी) सरकारी अनुमोदन की सभी शर्तों , यदि कोई हों, उनका अनुपालन कर लिया गया है;

(सी) कंपनी इन विनियमों के तहत शेयर जारी करने की पात्र है; और

(डी) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार प्रतिफल धन प्राप्ति के सबूत के तौर पर भारत में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र कंपनी के पास मौजूद हैं।

(ii) भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को जारी शेयरों की कीमत नियत करने के तरीके का उल्लेख करते हुए सेबी के पास पंजीकृत मर्चंट बैंकर / सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र।

6. शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर/अन्य जारी करने हेतु सभी प्रकार के प्रतिफलस्वरूप प्राप्त विप्रेषणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी यूआईनंबर।

आर													

आर													

(आवेदक के हस्ताक्षर)* : ____________________

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) :

(हस्ताक्षरी का पदनाम) :

स्थान :

दिनांकः

(* कंपनी के प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ सचिव द्वारा हस्ताक्षरित)

निवेश स्वीकार करनेवाली भारतीय कंपनी के कंपनी सचिव[3] द्‌वारा फाइल किया जानेवाला प्रमाणपत्र :

(3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी)(i) के अनुसार)

उपर्युक्त ब्योरों के संबंध में हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाओ को पूरा किया गया है।

2. सरकारी अनुमोदन की शर्तों, यदि कोई हों, का अनुपालन किया गया है।

3. इन विनियमों के अधीन शेयर / परिवर्तनीय डिबेंचर/अन्य जारी करने के लिए कंपनी पात्र है।

4. कंपनी के पास सभी मूल प्रमाणपत्र मौज़ूद हैं जो भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्‌वारा जारी किए गए हैं, और जो 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार प्रतिफल राशि की प्राप्ति का सबूत हैं।

(कंपनी सचिव का नाम और हस्ताक्षर)

(मुहर)

केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ:

एफसी-जीपीआर के लिए पंजीकरण नंबर:														
विप्रेषण की प्राप्ति के समय कंपनी को आबंटित यूआईएन	**आर**													

[3] यदि कंपनी में पूर्णकालिक कंपनी सचिव न हो तो कंपनी सचिव का कार्य करने वाले व्यक्ति द्‌वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।